



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
 भाग-4, खण्ड (ख)  
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 2 अगस्त, 2021

श्रावण 11, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6

संख्या 510/81-6-2021-23(पर्या)-97टी0सी0

लखनऊ, 2 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-251

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) की धारा 64 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1981) की धारा 54 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की सेवा की निबंधन और शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की सेवा शर्तों)  
 नियमावली, 2021

अध्याय-एक

- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की सेवा शर्तों) नियमावली, 2021 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- 2-जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,— परिभाषायें
- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6, 1974) से है;
- (ख) अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे/होंगी;
- (ग) "बोर्ड" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है;
- (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;
- (ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
- (च) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
- (छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (ज) "सदस्य-सचिव" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य-सचिव से है;

## अध्याय—दो

## अध्यक्ष के पद की निबन्धन और शर्तें इत्यादि

अध्यक्ष की आयु

3—अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अन्तिम दिनांक को छप्पन वर्ष (56) से अधिक नहीं होगी।

अध्यक्ष पद की आवश्यक अर्हता

4—(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन हेतु चयनित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि—

(क) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित अभियांत्रिकी शाखा में स्नातक उपाधि धारित नहीं कर लेता है और औद्योगिक प्रदूषण के शमन सहित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष ज्ञान एवं पन्द्रह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा जल शुद्धिकरण या वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष की सेवा प्रदान न की हो; अथवा

(ख) वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या स्वशासी निकाय या सांविधिक निकाय का कोई अधिकारी न हो, और—

(एक) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर कोई सदृश पद धारित नहीं कर लेता है; या

(दो) मूल संवर्ग या विभाग में सातवें वेतन आयोग स्केल के लेवल 14 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे में तीन साल की नियमित सेवा प्रदान न की हो; तथा

(तीन) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव धारित नहीं कर लेता है; या

(ग) अखिल भारतीय सेवा में नियमित आधार पर 7वें वेतन आयोग स्केल के लेवल 15 स्तर का पद धारित नहीं करता है; या धारित नहीं कर लिया है, या मूल संवर्ग या विभाग में सातवें वेतन आयोग स्केल के लेवल 14 में नियमित रूप से तीन वर्ष की सेवा; और विज्ञान या अभियांत्रिकी में उपाधि धारित नहीं कर लेता है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष का ज्ञान और अनुभव न हो। राज्य सरकार के कर्मचारी हेतु अग्रेत्तर विशुद्धिकरण राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकेगा।

## स्पष्टीकरण :

(1) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण प्रबन्धन में डॉक्टर की उपाधि और समान पद के लिए समीक्षा किये गये शोध प्रकाशनों का उत्कृष्ट रिकार्ड और सेवा कार्मिकों के लिए पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव, वांछनीय योग्यता होगी किन्तु अनिवार्य नहीं होगी।

(2) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या स्वशासी निकाय या सांविधिक निकाय में चयनित कार्यरत अधिकारी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग के अधीन उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पूर्ववर्ती धारित किसी अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुये, प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला व्यक्ति उत्कृष्ट योग्यता और त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा का होगा, जिसमें उसके पहले के नियोजन और अध्यक्ष पद का प्रभार धारित करने के मध्य हितों के विरोध की कोई सम्भावना नहीं होगी।

अध्यक्ष के नाम निर्देशन की प्रक्रिया

5—(1) अध्यक्ष, पूर्णकालिक या अंशकालिक, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, हो सकता है।

(2) अंशकालिक अध्यक्ष के मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को पात्र प्रत्याशी का सुझाव दे सकता है, जो अंशकालिक अध्यक्ष का नामनिर्देशन करेंगे।

(3) पूर्णकालिक अध्यक्ष का नामनिर्देशन, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तलाश-सह-चयन समिति, जो पात्र अभ्यर्थियों में से एक पैनल (अधिकतम तीन) का चयन करेगी, की संस्तुति पर किया जायेगा।

(4) पूर्णकालिक अध्यक्ष की संस्तुति हेतु तलाश-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- |   |                |
|---|----------------|
| (क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश  | - अध्यक्ष      |
| (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश   | - सदस्य/संयोजक |
| (ग) राष्ट्र स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ, सदस्य, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा | - सदस्य        |

(5) पूर्णकालिक अध्यक्ष, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) अंशकालिक अध्यक्ष के कृत्य/कार्य की समीक्षा, सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर की जाएगी और संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में सरकार, अंशकालिक अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ा सकती है किन्तु किसी स्थिति में उसका समग्र कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(7) अध्यक्ष को सरकार द्वारा किसी समय उसके विरुद्ध कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् हटाया जा सकता है।

6-(1) अध्यक्ष, सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15 का वेतन प्राप्त करेगा।

अध्यक्ष का वेतनमान और उसके भत्ते

(2) अंशकालिक अध्यक्ष, उपरोक्त वेतन का हकदार नहीं होगा। वह उन्हीं भत्तों और मानदेय का हकदार होगा जैसा कि सरकार द्वारा नियत किया जाय।

7-(1) अध्यक्ष, नगर प्रतिकर भत्ता एवं वास सुविधा का हकदार होगा। परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष को वास सुविधा आवंटित न किया गया हो तो वह सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

अध्यक्ष की सेवा की निबंधन और शर्तें

(2) अध्यक्ष अपने शासकीय कर्तव्यों के संबंध में की गई यात्राओं के निमित्त सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(3) भत्तों, अवकाश, कार्यभार ग्रहण अवधि, कार्यभार ग्रहण अवधि वेतन के मामले में अध्यक्ष की अन्य सेवा शर्तें, सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय होंगी।

### अध्याय-तीन

#### सदस्य-सचिव पद की निबंधन और शर्तें इत्यादि

8-प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने के अन्तिम दिनांक को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी, परन्तु अभ्यर्थी उक्त पद हेतु अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

सदस्य-सचिव की आयु

9-केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्थान या स्वशासी या सांविधिक निकाय का अधिकारी-

सदस्य-सचिव की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता

(क) (एक) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करता हो; या

(दो) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में ग्रेड पे में या उसके समकक्ष दो साल की सेवा की हो या सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे में या उसके समकक्ष आठ साल की सेवा की हो; तथा

(ख) निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव धारित करता हो :-

(एक) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित अभियांत्रिकी शाखा में स्नातक उपाधि हो और औद्योगिक प्रदूषण शमन सहित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष ज्ञान और पन्द्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो अथवा जल शुद्धीकरण या वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के सम्बन्ध में पच्चीस वर्ष की सेवा प्रदान की हो;

**अथवा**

(दो) पर्यावरण सम्बन्धी प्रबन्धन और प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित किसी भी क्षेत्र के वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी या प्रबन्धन पहलुओं से सम्बन्धित मामलों में व्यवहारिक अनुभव के साथ प्रशासनिक या प्रबन्धकीय स्तर पर सरकारी विभाग या संस्था या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्था या स्वशासी या सांविधिक निकाय में नियमित रूप में समूह 'क' के पदों से अनिम्न श्रेणी और सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स लेवल 11 के वेतनमान में बारह (12) वर्ष का अनुभव हो।

**स्पष्टीकरण**—किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पर्यावरण पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विज्ञान में पीएचडी0 या पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित शाखा में एम0टेक0, अभियांत्रिकी या समकक्ष वांछनीय होगा किन्तु अनिवार्य नहीं होगा।

सदस्य-सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया

10—(1) सदस्य-सचिव की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तलाश-सह-चयन समिति के माध्यम से चयनित पात्र अभ्यर्थियों के पैनल से संस्तुतियों के आधार पर की जा सकती है।

(2) तलाश-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- |   |               |
|---|---------------|
| (क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश  | —अध्यक्ष      |
| (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश   | —सदस्य/संयोजक |
| (ग) राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र में अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ सदस्य जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा : | —सदस्य        |

परंतु यह कि यदि इस उपनियम के अधीन इस प्रकार गठित तलाश-सह-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित न हो तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व तलाश-सह-चयन समिति में न हो, के शासन में प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को शासन द्वारा अतिरिक्त सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग या केंद्र या राज्य सरकार में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सदस्य-सचिव का वेतनमान और मानदेय

11—सदस्य-सचिव 7वें वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13क के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा।

सदस्य-सचिव की सेवा की निबंधन और शर्तें

12—(1) सदस्य-सचिव नगर प्रतिकर भत्ता तथा वास-सुविधा का हकदार होगा :

परंतु यह कि सदस्य-सचिव को वास सुविधा आवंटित नहीं होता है तो वह सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) सदस्य-सचिव, सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय दरों पर शासकीय कर्तव्यों के संबंध में की गयी यात्राओं के निमित्त यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(3) भत्तों, अवकाश, कार्यभार ग्रहण अवधि वेतन, भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षता-आयु और सेवा नैवृत्तिक प्रसुविधाओं के मामले में सदस्य-सचिव की अन्य सेवा शर्तें, सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय होंगी।

नियमों को शिथिल करने की शक्ति

13—(1) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इस नियमावली के किसी उपबंध को इस रीति से शिथिल कर सकती है कि यह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों से असंगत न हो।

(2) कोई मामला, जो इस नियमावली से विनिर्दिष्ट रूप से आच्छादित न हो, राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और उससे संबंधित राज्य सरकार के आदेश अन्तिम होंगे।

आज्ञा से,  
मनोज सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 510/LXXXI-6-2021-23(Parya)-97T.C., dated August 2, 2021 :

No. 510/LXXXI-6-2021-23(Parya)-97T.C.  
Dated Lucknow, August 2, 2021

In exercise of the powers under section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act no. 6 of 1974) and section 54 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulate the terms and conditions of service of the Chairman and Member-Secretary of the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN AND MEMBER-SECRETARY) RULES, 2021

CHAPTER-I

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Pollution Control Board (Conditions of Service of Chairman and Member-Secretary) Rules, 2021. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :- Definitions

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(b) "Appointing authority" in relation to the post of Chairman and Member Secretary shall be the Governor of Uttar Pradesh;

(c) "Board" means the Uttar Pradesh Pollution Control Board ;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board ;

(e) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(f) "Constitution" means the Constitution of India;

(g) "Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

(h) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Board.

CHAPTER-II

TERMS AND CONDITIONS *ETC.* FOR THE POST OF CHAIRMAN

3. The maximum age limit for nomination as Chairman shall not be exceeding fifty six (56) years as on the last date for the receipt of applications. Age of Chairman

4. (1) No person shall be eligible for being selected for nomination as the Chairman unless,- Essential Qualification for the post of Chairman

(a) he possesses Master's Degree in Science relating to environment or Bachelor's Degree in Engineering in a discipline relating to Environment from a recognized University or Institute and has special knowledge and fifteen years practical experience relating to the environment protection, including industrial pollution mitigation, water treatment or air pollution control devices and has rendered twenty five years of service; or

(b) he is an officer under the Central Government or State Government or public sector undertaking or a University autonomous body or statutory body, and-

(i) holds an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) has three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 14 of 7<sup>th</sup> Pay Commission Scale in the parent cadre or department; and

(iii) possesses the qualifications and experience specified in clause (a); or

(c) is or has been in All India Service holding the post in the rank of Level 15 of the 7<sup>th</sup> Pay Commission Scale on regular basis, or having 3 years of regular service in Level 14 of 7<sup>th</sup> Pay Commission Scale in the parent cadre or department and possesses a Degree in Science or Engineering and has knowledge and experience of at least three years in areas related to environment protection. For State Government employee further clarification can be issued by State Government.

*Explanation :-* (1) For the purposes of this sub-rule, a doctor's degree in environmental management from a recognized university or institute and excellent record of peer reviewed research publications and experience of organizing environment related training programmes for service personnel shall be desirable qualification but not mandatory.

(2) An officer working under the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a University or an autonomous body or statutory body selected for nomination as the Chairman under clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act, shall be considered for nomination as the Chairman on deputation basis.

(3) For the purpose of sub-rule (2), the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation under the Ministry or Department of the Central or State Government shall not ordinarily exceed three years.

(4) The person to be nominated as Chairman shall be of outstanding merit and impeccable integrity with no possibility of conflict of interest between his earlier employment and in holding the charge of the post of Chairman.

Procedure for  
nomination of  
Chairman

5. (1) The Chairman may be either full-time or part-time as the State Government may think fit.

(2) In case of part time Chairman, the Department of Environment, Forests and Climate Change, Government of Uttar Pradesh may suggest eligible candidate to the Hon'ble Chief Minister who shall nominate the part-time Chairman.

(3) The full-time Chairman may be nominated by the Hon'ble Chief Minister on the recommendation of the search-cum-selection Committee which shall select a panel (maximum three) from the eligible candidates.

(4) The search-cum-selection committee for the recommendation of the full-time Chairman shall consist of the following members :-

- (a) Chief Secretary, Uttar Pradesh – **Chairman;**
- (b) Additional Chief Secretary/  
Principal Secretary, Department of Environment,  
Forests and Climate Change, Uttar Pradesh – **Member/Convener;**
- (c) an expert member from acclaimed national level institute/ organization  
having experience in environmental field to be nominated by the State  
Government – **Member.**

(5) The full-time Chairman shall be nominated for a maximum period of three years.

(6) The functioning/working of part-time Chairman shall be reviewed by the Government on yearly basis and in case of being found satisfactory, the Government may extend the term of part-time Chairman but in no case his the overall tenure shall exceed three years.

(7) The Chairman may be removed by the Government at any time, after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

Scale of pay and  
allowances of  
Chairman

6. (1) The Chairman shall receive pay of level 15 in the pay matrix of the 7th Pay Commission.

(2) The part-time Chairman shall not be entitled to the above pay. He shall be entitled to allowance/honorarium as may be fixed by the Government.

Terms and  
conditions of  
service of  
Chairman

7. (1) The Chairman shall be entitled to city compensatory allowance and accommodation:

Provided that if the Chairman has not been allotted the accommodation, he shall be entitled to get the house rent allowance as per the rules/regulations of the Government.

(2) The Chairman shall be entitled to the travelling allowance and daily allowance in respect of journeys undertaken in connection with his official duties, at the rates permissible as per the rules/regulations of the Government.

(3) The other conditions of service of the Chairman in the matters of allowances, leave, joining time, joining time pay shall be permissible in accordance with the rules/regulations of the Government.

CHAPTER-III

TERMS AND CONDITIONS ETC. FOR THE POST OF MEMBER-SECRETARY

8. The maximum age limit of appointment by deputation shall not be exceeding fifty six (56) years as on the closing date of the receipt of applications, provided candidate fulfills the other eligibility conditions for the post. Age of Member-Secretary
9. Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or University or Government Research Institution or Autonomous or Statutory Body- Essential Qualification for the appointment of Member-Secretary
- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-13 of the Pay Matrix of the 7<sup>th</sup> Pay Commission or officers with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-12 of the Pay Matrix of the 7<sup>th</sup> Pay Commission or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) Possessing the following qualification and experience :-
- (i) Master's Degree in Science relating to environment or Bachelor's Degree in Engineering in a discipline relating to Environment from a recognized University or Institute and has special knowledge and fifteen years practical experience relating to the environment protection, including industrial pollution mitigation, water treatment or air pollution control devices and has rendered twenty five years of service; or
- (ii) Twelve (12) years experience in the regular Group-'A' posts, not below the rank and pay scale of level-11 of the Pay Matrix of the 7<sup>th</sup> Pay Commission in Government Department or Institution or Central Public Sector Undertaking or University or Government Research Institution or Autonomous or Statutory body at the administrative or managerial level with practical experience in matters relating to scientific, engineering or management aspects of any of the fields related to environmental management and pollution control.
- Explanation:** Ph.D. in Science relating to Environment or M.Tech. in Engineering in a discipline related to Environment from a recognized Institute or University or Equivalent shall be desirable but not mandatory.
10. (1) The Member-Secretary may be appointed by the Hon'ble Chief Minister on the recommendations from the panel of eligible candidates selected by the search-cum-selection committee. Procedure for appointment of Member-Secretary
- (2) The search-cum-selection committee shall consist of the following members :-
- (a) Chief Secretary, Uttar Pradesh - **Chairman;**
- (b) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Environment, Forests & Climate Change, Uttar Pradesh - **Member/ Convener;**
- (c) an expert member from an acclaimed National level institute/Organization having experience in environmental science field to be nominated by the State Government - **Member;**
- Provided that if the search-cum-selection Committee so constituted under this sub-rule does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, then an officer not below the rank of Principal Secretary to the Government belonging to such castes/tribes and classes as are not represented in the search-cum-selection Committee shall be nominated by the Government as additional Member.
- (3) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department or the Central or State Government shall ordinarily not exceed three years.
11. The Member-Secretary shall receive pay in the pay scale of level 13A in the Pay Matrix of the 7<sup>th</sup> Pay Commission. Scale of pay and honorarium of Member-Secretary
12. (1) The Member-Secretary shall be entitled to city compensatory allowance and accommodation: Terms and conditions of service of Member-Secretary
- Provided that the Member -Secretary has not been allotted the accommodation he shall be entitled to get the house rent allowance as per the rules/regulations of the Government.

(2) The Member-Secretary shall be entitled to the travelling allowance and daily allowance in respect of journeys undertaken in connection with his official duties, at the rates permissible as per the rules/regulations of the Government.

(3) The other conditions of service of the Member Secretary in the matters of allowances, leave, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits shall be permissible in accordance with the rules/regulations of the Government.

Power to relax  
rules

13. (1) Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts in a manner that it is not inconsistent with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(2) Any matter not specifically covered under these rules, shall be referred to the State Government and the orders of the State Government with respect thereto shall be final.

By order,  
MANOJ SINGH,  
*Apar Mukhya Sachiv.*